



## वलिफुल डफिल्टर हेतु समाधान समझौता: RBI

### प्रलिस के लयल:

[ःण वसूली नयायाधकरण \(DRTs\)](#), [NPA](#), [नेशनल एसेट रकिसट्रकशन लमलड \(NARC\)](#), [भारतीय रज़रव बैंक \(RBI\)](#), [भारत ःण समाधान कंपनी लमलड](#), [SARFAESI अधनलयम](#), [दवलाल और शोधन अकषमता संहतल \(IBC\)](#), [बैंकगल वनलयमन अधनलयम, 1949](#)

### मेन्स के लयल:

NPA की चुनौतलयीं, NPA संकल्प के प्रावधान

## चरचा में कयों?

हाल ही में [भारतीय रज़रव बैंक \(Reserve Bank of India- RBI\)](#) ने प्रस्ताव/सरकुलर पेश कयल है, जसमें वलिफुल डफिल्टर/इरादतन चुककर्तताओं और धोखाधडी में शामिल कंपनलयीं को समाधान समझौता या तकनीकी राइट-ऑफ का वकल्प चुनने की अनुमतल दी गई है ।

- यह सरकुलर ऐसे मामलों से नपलटने में बैंकों और वतलत कंपनलयीं हेतु दशल-नरलदेश प्रदान करता है ।

## प्रमुख बडु

### ▪ सरकुलर :

#### ◦ समाधान समझौता और तकनीकी राइट-ऑफ:

- देनदारों के खललफ चल रही आपराधक कारयवाही के बावजूद बैंक और वतलत कंपनलयीं वलिफुल डफिल्टर्स या धोखाधडी के रूप में वर्गीकृत खतों हेतु समाधान समझौता या तकनीकी राइट-ऑफ कर सकती हैं ।
- RBI का सरकुलर यह सुनशलचतल करते हुए इन नपलटान को सक्षम बनाता है कल आपराधक कारयवाही अप्रभावतल रहे ।

#### ◦ नए ःणों हेतु कूलगल पीरयलड:

- बैंकों को उन उधारकर्तताओं को नए ःण देने से पहले 12 महीने की नयूनतम कूलगल पीरयलड लागू करने की आवश्यकता होती है, जनलहोंने समाधान समझौता कयल है ।
- कूलगल पीरयलड कषःण के अलावा अन्य जोखमों पर भी लागू होता है , वनलयमतल संस्थालों के पास उनके बोरड द्वारा अनुमोदतल नीतलयीं के आधार पर दीर्घकालकल कूलगल पीरयलड नरलधारतल करने का अधिकार होता है ।

### ▪ चुनौतलयीं:

#### ◦ सार्वजनकल धन की संभावतल हानल:

- बैंकों ने पूर्व में समाधान समझौता को मंजूरी दे दी है, जसके परणलमस्वरूप बकाया भुगतानों पर भारी कटौतल के कारण काफी नुकसान हुआ है ।
- हाललँकल समाधान समझौता की अनुमतल देने से बड़े धोखेबाजों और बकाएदारों को बढावा मलल सकता है ।
- समाधान समझौते की अनुमतल देने से NPA कृत्रमल रूप से कम हो जाएगा, भले ही वतलतीय नीतलयीं अस्थरल हों ।
- कुल सकल NPA में सार्वजनकल कषेत्तर के बैंकों का बड़ा हसलसा है । सार्वजनकल कषेत्तर के बैंकों का NPA कुल NPA का लगभग 72% हैं, बाकी नजल कषेत्तर के बैंकों, वदलशी बैंकों और छोटे वतलतीय संस्थानों का NPA है ।
  - PSB को सरकार द्वारा पुनरपूजलकृत कयल जाता है जससे जनता के पैसे का नुकसान होता है ।

#### ◦ ःण वसूली नयायाधकरण (DRT) के मुददे:

- ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ बैंकों ने [ःण वसूली नयायाधकरण \(Debt Recovery Tribunals- DRT\)](#) को सूचतल कयल बनल समाधान समझौता कयल ।
- [एरनाकुलम में DRT](#) ने एक ऐसी स्थतल देखल जसमें एक समझौता कयल गया था, लेकनल बैंक सहमतल डलकलरी को सुरकषतल करने में वफल रहा और काफी समय तक DRT से नपलटान को गुप्त रखा गया ।

- यह एसेट रकिसट्रकशन कंपनी और IBC दोनों के महत्त्व को कम कर रहा है ।

### ▪ समाधान समझौते के लाभ:

- लागत कम करना:

- समाधान समझौता बकाए की शीघ्र वसूली की सुविधा प्रदान करता है और कानूनी खर्चों और अन्य संबंधित लागतों को कम करके बैंकों की लागत को बचाता है।
- अंतरनिति उद्देश्य कम समय-सीमा के भीतर अधिकतम संभव सीमा तक देय राशिकी वसूली करना है।
- तकनीकी राइट-ऑफ और NPA में कमी:
  - बैंकों ने पछिले एक दशक में गैर-नष्पादित परसिंपत्तियों (NPA) को कम करने के लिये राइट-ऑफ का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप NPA का स्तर कम दर्ज किया गया है।
    - राइट-ऑफ का उपयोग लेखांकन और कर उद्देश्यों के लिये किया गया था लेकिन चिंताएँ मौजूद हैं कि इस अभ्यास ने बैंकों और कॉरपोरेट्स को अपनी ऋण बुक को "एवरग्रीन" बनाए रखने की अनुमति दी है।
- समाधान समझौते का उद्देश्य अनपेक्षित बाज़ार जोखिमों के परिणामस्वरूप गैर-नष्पादित परसिंपत्तियों (NPA) का सामना करने वाली आर्थिक रूप से बोलिबल कंपनियों को महत्त्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करना है।

## गैर-नष्पादित परसिंपत्तियाँ:

### परिचय:

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट रूप से हैं या मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।
  - ज्यादातर मामलों में ऋण को गैर-नष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब 90 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिये ऋण भुगतान नहीं किया जाता है।
  - कृषिकी यदाद्वि-फसली मौसमों के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- सकल NPA:
  - सकल NPA उन सभी ऋणों का योग है जो व्यक्तियों द्वारा चूक किये गए हैं
- कुल NPA:
  - कुल NPA वह राशि है जो प्रावधान राशिको सकल गैर-नष्पादित परसिंपत्तियों से घटाए जाने के बाद प्राप्त होती है।
- NPA से संबंधित कानून और प्रावधान:
  - बैंड बैंक:
    - भारत में बैंड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (NARC) कहा जाता है।
    - यह NARC एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर काम करेगी।
      - यह बैंकों से खराब ऋण खरीदेगा, जिससे उन्हें NPA से राहत मिलेगी। इसके बाद NARC संकटग्रस्त ऋण खरीदारों को दबावग्रस्त ऋण बेचने का प्रयास करेगा।
    - सरकार ने पहले ही इन तनावग्रस्त संपत्तियों को बाज़ार में बेचने के लिये इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) की स्थापना की है। तदनुसार, IDRCL उन्हें बाज़ार में बेचने का प्रयास करेगी।
  - वित्तीय संपत्तियों का प्रतभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हति का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002:
    - सरफेसी अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशिकी वसूली के लिये संपार्ष्वक संपत्ति पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की अनुमति देता है।
    - यह सुरक्षा हतियों के प्रवर्तन के लिये प्रावधान प्रदान करता है तथा बैंकों को डिफॉल्ट उधारकर्त्ताओं को डमिंड नोटिस जारी करने की अनुमति देता है।
  - दवाला और दवालियापन संहिता (IBC), 2016:
    - IBC भारत में दवालियापन और दवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
    - इसका उद्देश्य तनावग्रस्त संपत्तियों (स्ट्रेस एसेट) के समयबद्ध समाधान को सुगम बनाना और लेनदारों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।
    - IBC के तहत एक देनदार या लेनदार एक डिफॉल्ट उधारकर्त्ता के विरुद्ध दवाला कार्यवाही शुरू कर सकता है।
    - प्रक्रिया की देख-रेख के लिये यह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और भारतीय दवाला और शोधन अकषमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना करता है।
  - बैंकों और वित्तीय संस्थान (RDDBFI) अधिनियम, 1993 के कारण ऋण की वसूली:
    - RDDBFI अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली के लिये शीघ्र अधिनिरिणय तथा वसूली हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) की स्थापना करता है।
    - DRT के पास एक नरिदषिट सीमा से अधिक बकाया ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों को सुनने और नरिणय लेने की शक्ति है।
  - भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872:
    - भारतीय अनुबंध अधिनियम उधारदाताओं और उधारकर्त्ताओं के बीच संवदिात्मक संबंध को नरिंत्तरति करता है।
    - यह ऋण समझौतों, नयिमों एवं शर्तों, डिफॉल्ट तथा भुगतान न करने की स्थिति में उधारदाताओं के लिये उपलब्ध उपायों हेतु कानूनी ढाँचा स्थापति करता है।

## आगे की राह

### वसूली की कार्यवाही और सहमति डिकिरी:

- समाधान समझौते पर बातचीत करते समय बैंकों को न्यायिक मंचों के तहत चल रही वसूली कार्यवाही पर वचिार करना चाहिये।
- नपिटान से संबंधित न्यायिक अधिकारियों से सहमति डिकिरी प्राप्त करने के अधीन होना चाहिये।

- **NPA वसूली का महत्त्व:**
  - जमाकर्त्ताओं और हतिधारकों के हितों की रक्षा के लिये NPA की वसूली महत्त्वपूर्ण है।
  - समझौता नपिटान को न्यूनतम व्यय के साथ तथा कम समय सीमा के अंदर देय राशि की अधिकतम वसूली को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **जनहति पर वचिार:**
  - समाधान समझौते के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था होने के नाते बैंकों को उधारकर्त्ताओं के हितों पर कर-भुगतान करने वाली जनता के हितों पर भी वचिार करना चाहिये।

## वलिफुल डफिऑल्टर:

- जब उधारकर्त्ता (व्यक्ति या कंपनी) भुगतान दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के बावजूद भुगतान करने के अपने दायित्व से चूक जाता है या जान-बूझकर ऋण न चुकाने का इरादा रखता है।
- जब पूंजी का उपयोग उस वशिषिट उद्देश्य के लिये नहीं किया जाता है जिसके लिये वत्ति प्राप्त किया गया था लेकिन ऋण लेने वाले द्वारा ऋण समझौते में परभिषति उद्देश्य के अतरिकित किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्राप्त पूंजी का उपयोग किया जाता है।
- जब इस प्रकार के संदेह की स्थिति हो, जिसमें उधार लेने वाले ने धन की हेरा-फेरी की हो और उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया गया है जिसके लिये उधार लिया गया था। इसके अतरिकित उसके पास ऐसी कोई संपत्ति उपलब्ध नहीं हो जो उसके द्वारा फंड के इस तरह के उपयोग को उचति ठहराती हो।

## UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### प्रलिमिस:

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संदर्भ में नमिनलिखित कथनों पर वचिार कीजिये: (2018)

1. पछिले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतरवेशन में लगातार वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थति करने के लिये मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का वलिय किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सरकार ने क्रेडिट वसितार का समर्थन करने और गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों (NPA) के लिये किये जाने वाले प्रावधानों से होने वाले नुकसान से नपिटने में मदद हेतु राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में पूंजी अंतरवेशन का कार्य किया है।
- परंतु सरकारी बैंकों में पूंजी अंतरवेशन का चलन किसी एक दशा में वशिषिट नहीं रहा है, यह बढ़ता-घटता रहा है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- फरवरी 2017 में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारतीय महिला बैंक और पाँच सहयोगी बैंकों के वलिय को मंजूरी दी थी। वलिय का उद्देश्य सार्वजनिक बैंक संसाधनों का युक्तकिरण, लागत में कमी, बेहतर लाभपरदता और जनता के लिये ब्याज की बेहतर दर के लिये धन की कम लागत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उत्पादकता एवं ग्राहक सेवा में सुधार करना था। संसद ने सार्वजनिक बैंक के युक्तकिरण को प्रभावति करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के साथ छह सहायक बैंकों का वलिय करने हेतु स्टेट बैंक (नरिसन और संशोधन) वधियक, 2017 पारति किया।

अतः कथन 2 सही है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस